राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.13(4)राज.–1/2010 पार्ट–1 **जयपुर, दिनांक :**

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106, 107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक क्रमशः प.13(15)राज./ग्रुप–1/2002 दिनांक 28.05.2009, प.13(4)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 29.06.2010, 15.12.2011 एवं 22.03.2012 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 207 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प.13(4)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 21.02.2017, 28.06.2017, 04.09.2017, 13.06.2018, 18.07.2018, 08.03.2019, 18.02.2020 व 17.07.2020 के द्वारा बंद घोषित किया जा चुका हैं। शेष रहे ग्रामों में से **02 ग्राम गणेशपुरा एवं कुन्दा** के अभिलेख का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण होने से इस अधिसूचना प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता हैं तथा उक्त निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु नियुक्त अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

आज्ञा से

(नरेन्द्र गुप्ता)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009–10/ दिनांक 01.02.2024
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग, जिला कलक्टर बारां एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

RajKaj Ref
5743007

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2024.05.11 23:31:29 IST
Reason: Approved